तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
२०-१२-१७	वकील उभयपक्ष उपस्थित है। T.I. प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब T.I. में यह अंकित किया है कि ख०नं० 341 से नौरसायलान का कोई वास्ता नहीं है। प्रकरण सिर्फ नाप तौल का है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी सं० 2070 से 2073 के अवलोकन से विदित है कि ख०नं० $\frac{341}{0.49}$ है० ग्राम चूली प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। इस भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में प्रार्थीगण को बाधा उत्पन्न करने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण का T.I. प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा तानैसला दावा पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख०नं० $\frac{341}{0.49}$ ग्राम चूली में अतिक्रमण नहीं करें, संलग्न नजरी नक्शा में पीले रंग से दर्शित स्थान पर लैट्रिन, बाथरूम, लैट्रिन के गड्ढे का या अन्य किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें, मौके की यथास्थिति बनाए रखें एवं सायलान के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	